



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-13082021-228973
CG-MH-E-13082021-228973

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 337]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 13, 2021/श्रावण 22, 1943

No. 337]

NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 13, 2021/SHRAVANA 22, 1943

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

अधिसूचना

मुम्बई, 13 अगस्त, 2021

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

(शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2021

सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2021/46.—बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 30 के तहत प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) विनियम, 2011 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:-

- इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2021 कहा जा सकेगा।
- वे 1 अप्रैल, 2022 से लागू होंगे।
- भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) विनियम, 2011 में,-
 - विनियम 29 में,
(क) उप-विनियम (1) निम्नलिखित से प्रतिस्थापित हो जाएगा, अर्थात्,-

“(1) यदि कोई अर्जनकर्ता (एक्वायरर), उसके साथ सामान्य मति से कार्य करने वाले व्यक्तियों के साथ मिलकर, लक्षित कंपनी (टार्गेट कंपनी) में शेयरों या मताधिकारों का अर्जन करता हो और जो कुल मिलाकर ऐसी लक्षित कंपनी के शेयरों के पाँच प्रतिशत या उससे अधिक हो जाए, तो ऐसे में वह ऐसी लक्षित कंपनी में उनकी कुल शेयरधारिता (शेयरहोल्डिंग) और मताधिकारों के संबंध में प्रकटीकरण (डिस्क्लोज़र) उसी प्रकार करेगा जैसा निर्धारित किया जाए।”

(ख) उप-विनियम (2) में, शब्द तथा चिह्न “कोई व्यक्ति, जो उसके साथ सामान्य मति से कार्य करने वाले व्यक्तियों के साथ,”, शब्दों तथा चिह्नों “कोई व्यक्ति, जो उसके साथ सामान्य मति से कार्य करने वाले व्यक्तियों के साथ मिलकर,” से प्रतिस्थापित हो जाएंगे।

II. विनियम 30 का लोप हो जाएगा।

III. विनियम 31 में,

(क) उप-विनियम (1) निम्नलिखित से प्रतिस्थापित हो जाएगा, अर्थात्,-

“(1) प्रत्येक लक्षित कंपनी का संप्रवर्तक (प्रोमोटर) या उसके साथ सामान्य मति से कार्य करने वाले व्यक्ति, यदि ऐसी लक्षित कंपनी के शेयरों पर ऋण-भार (इन्कम्ब्रेंस / विल्लंगम) सृजित करें, तो ऐसे में प्रत्येक लक्षित कंपनी का संप्रवर्तक (प्रोमोटर) ऐसे शेयरों के ब्यौरे उसी प्रकार प्रकट (डिस्क्लोज़र) करेगा जैसा निर्धारित किया जाए:

परंतु यह कि प्रकटीकरण (डिस्क्लोज़र) की उपरोक्त अपेक्षा वहाँ लागू नहीं होगी, जहाँ ऐसा ऋण-भार (इन्कम्ब्रेंस) निक्षेपागार (डिपॉज़िटरी) के जरिए सृजित किया गया हो।”

(ख) उप-विनियम (2) निम्नलिखित से प्रतिस्थापित हो जाएगा, अर्थात्,-

“(2) यदि इस प्रकार शेयरों पर सृजित किए गए ऋण-भार (इन्कम्ब्रेंस) को लागू करवाया जाए या ऐसे ऋण-भार (इन्कम्ब्रेंस) को समाप्त (उसका निर्मोचन) कराया जाए, तो ऐसे में प्रत्येक लक्षित कंपनी का संप्रवर्तक (प्रोमोटर) उसके ब्यौरे उसी प्रकार प्रकट (डिस्क्लोज़र) करेगा जैसा निर्धारित किया जाए:

परंतु यह कि प्रकटीकरण (डिस्क्लोज़र) की उपरोक्त अपेक्षा वहाँ लागू नहीं होगी, जहाँ ऐसा ऋण-भार (इन्कम्ब्रेंस) निक्षेपागार (डिपॉज़िटरी) के जरिए सृजित किया गया हो।”

अजय त्यागी, अध्यक्ष

[विज्ञापन-III/4/असा./203/2021-22]

पाद टिप्पण:

1. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) विनियम, 2011, सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2011-12/24/30181, 23 सितम्बर 2011 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे।
2. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) विनियम, 2011 तत्पश्चात् :
 - क) 26 मार्च, 2013 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) (संशोधन) विनियम, 2013, सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2012-13/36/7368, द्वारा
 - ख) 8 अक्टूबर, 2013 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड {संस्थागत व्यापारिक (ट्रेडिंग) प्लेटफार्म पर विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियों की सूचीबद्धता} विनियम, 2013, सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2013-14/28/6720, द्वारा
 - ग) 23 मई, 2014 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (फीस का संदाय) (संशोधन) विनियम, 2014, सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2014-15/03/1089, द्वारा

- घ) 24 मार्च, 2015 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) (संशोधन) विनियम, 2015, सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ/जी.एन./2014-15/28/542, द्वारा
- ङ) 5 मई, 2015 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2015, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./ओ.आई.ए.इ./जी.एन./2015-16/004, द्वारा
- च) 14 अगस्त, 2015 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2015, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2015-16/009, द्वारा
- छ) 22 दिसम्बर, 2015 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) (चौथा संशोधन) विनियम, 2015, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2015-16/026, द्वारा
- ज) 17 फरवरी, 2016 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) (संशोधन) विनियम, 2016, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2015-16/035, द्वारा
- झ) 25 मई, 2016 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2016, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2016-17/002, द्वारा
- ञ) 6 मार्च, 2017 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (फीस का भुगतान और भुगतान का माध्यम) (संशोधन) विनियम, 2017, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2016-17/037 (तारीख 29 मार्च, 2017 की अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2016-17/038 के साथ पठित), द्वारा
- ट) 14 अगस्त, 2017 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) (संशोधन) विनियम, 2017, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2017-18/015, द्वारा
- ठ) 1 जून, 2018 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) (संशोधन) विनियम, 2018, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2018/20, द्वारा
- ड) 11 सितम्बर, 2018 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2018, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2018/33, द्वारा
- ढ) 31 दिसम्बर, 2018 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2018, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2018/55, द्वारा
- ण) 29 मार्च, 2019 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) (संशोधन) विनियम, 2019, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2019/06, द्वारा
- त) 29 जुलाई, 2019 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2019, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2019/27, द्वारा
- थ) 17 अप्रैल, 2020 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (रेग्युलेटरी सैंडबॉक्स) (संशोधन) विनियम, 2020, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2020/10, द्वारा
- द) 16 जून, 2020 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) (संशोधन) विनियम, 2020, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2020/14, द्वारा
- ध) 22 जून, 2020 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2020, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2020/19, द्वारा
- न) 1 जुलाई, 2020 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2020, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2020/20, द्वारा
- प) 5 मई, 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) (संशोधन) विनियम, 2021, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2021/19, द्वारा

- फ) 3 अगस्त, 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (रेग्यूलेटरी सैंडबॉक्स) (संशोधन) विनियम, 2021, सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2021/30, द्वारा संशोधित हुए थे।

**SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA
NOTIFICATION**

Mumbai, the 13th August, 2021

**SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (SUBSTANTIAL ACQUISITION OF
SHARES AND TAKEOVERS) (SECOND AMENDMENT) REGULATIONS, 2021**

No. SEBI/LAD-NRO/GN/2021/46.—In exercise of the powers conferred under section 30 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992), the Board hereby makes the following regulations to further amend the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011, namely: -

1. These regulations may be called the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) (Second Amendment) Regulations, 2021.
2. They shall come into force from April 1, 2022.
3. They shall come into force from April 1, 2022. In the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011, -

I. in regulation 29,

(a) sub-regulation (1), shall be substituted with the following, namely,-

“(1) Any acquirer, together with persons acting in concert with him acquiring shares or voting rights in a target company, which taken together aggregates to five per cent or more of the shares of such target company, shall disclose their aggregate shareholding and voting rights in such target company in such form as may be specified.”

(b) in sub-regulation (2), the words “Any person, who together” shall be substituted with the words, “Any person together”.

II. regulation 30 shall be omitted.

III. in regulation 31,

(a) in sub-regulation (1), the following proviso shall be inserted, namely, -

“Provided that the aforesaid disclosure requirement shall not be applicable where such encumbrance is undertaken in a depository”.

(b) in sub-regulation (2), the following proviso shall be inserted, namely, -

“Provided that the aforesaid disclosure requirement shall not be applicable where such encumbrance is undertaken in a depository”.

AJAY TYAGI, Chairman

[ADV.T.-III/4/Exty./203/2021-22]

Footnotes:

1. The Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011 were published in the Gazette of India on 23rd September, 2011 vide No. LAD-NRO/GN/2011 12/24/30181.

2. The Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011 were subsequently amended on:
- a) March 26, 2013 by the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) (Amendment) Regulations, 2013 vide No. LAD-NRO/GN/2012 13/36/7368.
 - b) October 8, 2013 by the Securities and Exchange Board of India (Listing of Specified Securities on Institutional Trading Platform) Regulations, 2013 vide No. LAD-NRO/GN/2013-14/28/6720.
 - c) May 23, 2014 by the Securities and Exchange Board of India (Payment of Fees) (Amendment) Regulations, 2014 vide Notification No. LAD-NRO/GN/2014-15/03/1089.
 - d) March 24, 2015 by the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) (Amendment) Regulations, 2015 vide No. LAD-NRO/GN/2014-15/28/542.
 - e) May 5, 2015 by the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) (Second Amendment) Regulations, 2015 vide No. SEBI/LAD-NRO/OIAE/GN/2015-16/004.
 - f) August 14, 2015 by the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) (Third Amendment) Regulations, 2015 vide No. SEBI/LAD NRO/GN/2015-16/009.
 - g) December 22, 2015 by the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) (Fourth Amendment) Regulations, 2015 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2015-16/026.
 - h) February 17, 2016 by the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) (Amendment) Regulations, 2016 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2015-16/035.
 - i) May 25, 2016 by the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) (Second Amendment) Regulations, 2016 vide No. SEBI/ LAD-NRO/GN/2016-17/002.
 - j) March 6, 2017 by the Securities and Exchange Board of India (Payment of Fees and Mode of Payment) (Amendment) Regulations, 2017 vide No. SEBI/LAD/NRO/GN/2016-17/037 read with notification dated March 29, 2017 vide No. SEBI/LAD/NRO/GN/2016-17/38.
 - k) August 14, 2017 by the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) (Amendment) Regulations, 2017 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2017-18/015.
 - l) June 01, 2018 by the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) (Amendment) Regulations, 2018 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2018/20.
 - m) September 11, 2018 by the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) (Second Amendment) Regulations, 2018 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2018/33.
 - n) December 31, 2018 by the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) (Third Amendment) Regulations, 2018 vide No. SEBI/LAD-NRO /GN/ 2018/55.
 - o) March 29, 2019 by the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) (Amendment) Regulations, 2019 vide No. SEBI/LAD-NRO /GN/ 2019/06.

- p) July 29, 2019 by the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) (Second Amendment) Regulations, 2019 vide No. SEBI/LAD-NRO /GN/ 2019/27.
- q) April 17, 2020 by the Securities and Exchange Board of India (Regulatory Sandbox) (Amendment) Regulations, 2020 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2020/10.
- r) June 16, 2020 by the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) (Amendment) Regulations, 2020 vide No. SEBI/LAD-NRO /GN/ 2020/14.
- s) June 22, 2020 by the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) (Second Amendment) Regulations, 2020 vide No. SEBI/LAD-NRO /GN/ 2020/19.
- t) July 1, 2020 by the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) (Third Amendment) Regulations, 2020 vide No. SEBI/LAD-NRO /GN/ 2020/20.
- u) May 5, 2021 by the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) (Amendment) Regulations, 2021 vide No. SEBI/LAD-NRO /GN/ 2021/19.
- v) August 3, 2021 by the Securities and Exchange Board of India (Regulatory Sandbox) (Amendment) Regulations, 2021 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2021/30.